सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

भाग 4 (क)

राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम 1

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 21, 2008

संख्या प.2(23) विधि/2/2008 – राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रेल, 2008 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाषित किया जाता है :–

ज्योति विद्यापीठ महिला विष्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008

(2008 का अधनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रेल, 2008 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में ज्योति विद्यापीठ महिला विष्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्ष और आनुशंगिक विश्यों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमं

यतः विष्व और देष में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ–साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन षैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विष्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवष्यक है जिससे उन्हें विष्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से ..... बनाया जा सकें

और यतः ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनषील अपेक्षाओं से यह आवष्यक हो गया है कि षैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवष्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर षिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विष्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और एसे विष्वविद्यालय को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुषल कार्यकरण को सुनिष्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः ज्योति विद्यापीठ ट्रस्ट, जो एक लोक न्यास है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 143, गोम डिफेंस कॉलोनी, जयपुर में स्थित है, विगत कई वर्शो से षिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है और कई षैक्षणिक संस्थाएं चला रहा है ;

और यतः उक्त ज्योति विद्यापीठ ट्रस्ट ने राजस्थान राज्य में ग्राम झरना, तहसील मौजमाबाद, उप–खण्ड दूदू, जिला जयपुर में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिश्ट, भौतिक और षैक्षणिक दोनों प्रकार की, अवसंरचनाएं स्थापित कर ली है और अनुसूची 2 में विनिर्दिश्ट षाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए विष्वविद्यालय स्थापित करने और चलाने का इच्छुक है और इसके प्रतीक स्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है ;

और यतः उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्ता नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विष्वविद्यालय, जयपुर आयुक्त महाविद्यालय षिक्षा, राजस्थान, जयपुर और एस.एच. मिश्रा, आचार्य, फार्मेसी विभाग, एम.एस. विष्वविद्यालय, पी.बी. सं. 51 कला भवन, बड़ौदा (गुजरात) थे;

और यतः, यदि पूर्वोक्त अवसंरचना का उपयोजन विष्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त ज्योति विद्यापीठ ट्रस्ट को विष्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के षैक्षणिक विकास में योगदान होगा ;

अतः अब, भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विद्यान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है : –

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का नाम ज्योति विद्यापीठ महिला विष्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008 हैं

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में हैं

(3) यह तुरन्त प्रवत्त होगां

2. परिभाशाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अ.भा.त.षि.प.'' से अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिशद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिशद् अभिप्रेत है ;

(ख) ''वै.औ.अ.प.'' से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोशण एजेन्सी – वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिशद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है ;

(ग) ''दू.षि.प.'' से इंदिरा गांधी राश्ट्रीय मुक्त विष्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ षिक्षा परिशद् अभिप्रेत है ;

(घ) ''दूरस्थ षिक्षा'' से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी षिक्षा अभिप्रेत है ;

(ड़) ''वि.प्रौ.वि.'' से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है ;

(च) 'कर्मचार'' से विष्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विष्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विष्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित है ;

(छ) ''फीस'' से विष्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किस भी प्रकार के किसी भी नाम से किया गया संग्रहण अभिप्रेत है जो प्रतिदेय नहीं है ;

(ज) ''सरकार'' से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) ''उच्चतर षिक्षा'' से 10+2 स्तर के ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है ;

(ञ) ''छात्रावास'' से विष्विद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विष्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यता प्राप्त निवास स्था अभिप्रेत है ;

(ट) ''भा.कृ.अ.प.'' से सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है ;

(ठ) ''भा.आ.प.'' से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है ;

(ड) ''रा.नि.प्र.प.'' से विष्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्ता संस्था–राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्याय परिषद् बंगलोर अभिप्रेत है ;

(ढ) ''रा.अ.षि.प.'' से राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठिन राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

(ण) ''निवेष बाह्य केन्द्र'' से विष्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेष के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विष्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय और स्टाफ हो ;

(त) ''भा.औ.प.'' से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय औषध परिषद् अभिप्रेत है ;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(द) ''विनियमन निकाय'' से उच्चतर षिक्षा के षैक्षिक मानक सुनिष्चित करने के लिए मानदण्ड और षर्ते अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा.त.षि.प., रा.अ.षि.प., भा.आ.प., भा.औ.प., रा.नि.प्र.प., भा. कृ.अ.प., दू.षि.प., वै.औ.अ.प. आदि अभिप्रेत है और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित है ;

(ध) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है ;

(न) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) ''प्रायोजक निकाय'' से ज्योति विद्यापीठ ट्रस्ट अभिप्रेत है, जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) के उपबंधों के अधीन उप–रजिस्ट्रार, जयपुर–II के कार्यालय में पुस्तक सं. 4 के क्र.सं. 1417 पर दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को न्यास विलेख के निश्पादन द्वारा सृजित किया गया है ;

(फ) ''परिनियम'', ''आर्डिनेन्स'' और ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विष्वविद्यालय के क्रमषः परिनियम आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत है ;

(ब) ''विष्वविद्यालय का छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विष्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेतु विष्वविद्यालय में नामांकित हो ;

(भ) ''अध्ययन केन्द्र'' से दूरस्थ षिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्ष करने या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विष्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित या मान्यता प्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है ;

(म) ''अध्यापक'' से विष्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को षिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्षन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्षन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(य) ''वि.अ.आ.'' से विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ; और

(यक) ''विष्वविद्यालय'' से ज्योति विद्यापीठ महिला विष्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत हैं

3. निगमन – (1) विष्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिशद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पष्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारणा किये रहते हैं, से इसके द्वारा ज्योति विद्यापीठ महिला विष्वविद्यालय, जयपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता हैं

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिश्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विष्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम का प्रारंभ होने के ठीक पष्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उठायेगां

(3) विष्वविद्यालय का ष्ाष्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगां

(4) विष्वविद्यालय ग्राम झरना, तहसील मौजमाबाद, उपखण्ड दूदू, जिला जयपुर में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगां

4. विष्वविद्यालय के उद्देष्य – विष्वविद्यालय के उद्देष्य अनुसूची 2 में विनिर्दिश्ट ष्ाखाओं में और ऐसी अन्य ष्ाखाओं में, जो विष्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय–समय पर अवधारित करे, अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त ष्ाखाओं में उत्कृश्टता प्राप्त करने और ज्ञान के प्रसार करने के हैं

5. विष्वविद्यालय की षाक्तियां और कृत्य – विष्वविद्यालय की निम्नलिखित षाक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् : –

(क) अनुसूची 2 में विनिर्दिश्ट षाखाओं में षिक्षण का उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना ;

(ख) ऐसी षार्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विष्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को परीक्षाओं, मूल्यांकन या किसी भी अन्य रीति से परीक्षण के आधार पर डिप्लोमा या प्रामण पत्र देना और उपाधियां या अन्य षैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना, और ठोस और पर्याप्त कारण से किन्हीं भी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य षैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना ;

(ग) निवेष बाह्य अध्ययन और विस्तार सेवा आयोजित करना और हाथ में लेना ;

(घ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;

(ड़) पत्राचार सहित षिक्षण और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम जो अवधारित किये जायें, का उपबंध करना ;

(च) विष्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन, या षैक्षणिक पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्ति करना ;

(छ) प्रषासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ज) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिश्ट कालावधि के लिए किसी भी अन्य विष्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत विनिर्दिश्ट ज्ञान वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(झ) किसी भी अन्य विष्वविद्यालय या प्राधिकारी या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त करना ;

(ञ) अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, और अनुसंधान और षिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विषिश्ट प्रयोगषालाओं या अन्य इकाइयों का संधारण करना जो विष्वविद्यालय की राय में उसके उद्देष्य को अग्रसर करने के लिए आवष्यक है ;

(ट) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(ठ) विष्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना ;

(ड) अनुसंधान और परामर्ष के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विष्वविद्यालय आवष्यक समझे ;

(ढ) विष्वविद्यालय में प्रवेष के लिए मानक अवधारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई भी अन्य रीति सम्मिलित हो सकेगी ;

(ण) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और संदाय प्राप्त रकना ;

(त) विष्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना ;

(थ) छात्राओं के संबंध में ऐसी विषेश व्यवस्थाएं करना जिन्हें विष्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(द) विष्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों में अनुषासन का विनियमन और प्रवर्तन करना और इस संबंध में ऐसे अनुषासनिक उपाय करना जिन्हें विष्वविद्यालय द्वारा आवष्यक समझा जाये ;

(ध) विष्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के उन्नयन के लिए व्यवस्था करना ;

(न) दान प्राप्त करना और किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करना ;

(प) विष्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, प्रायोजक निकास के अनुमोदन से धन उधार लेना ;

(फ) प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से विष्वविद्यालय की सम्पत्ति को बंधक या आडमान रखना ;

(ब) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना ;

(भ)यह सुनिष्चित करनाकि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों इत्यादि का स्तर उससे कम नहीं हो जो अ.भा.त.षि.प., रा.अ.षि.प., वि.अ.आ., भा.आ.प., भा.औ.प. और षिक्षा के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित बैसे ही अन्य निकायों द्वारा अधिकथित किये गये हों ;

(म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के भीतर या बाहर बाह्य निवेष केन्द्र स्थापित करना ; और

(य) ऐसे सभी कार्य और बातें करना जो विष्वविद्यालय के सभी उद्देष्यों या उनमें से किसी भी उद्देष्य की प्राप्ति के लिए आवष्यक, आनुशंगिक या सहायक हों

6. विष्वविद्यालय का स्व–वित्तपोशित होना – विष्वविद्यालय स्व–वित्तपोशित होगा और राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगां

7. संबद्ध करने की षाक्ति का न होना –विष्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विषेशाधिकार देने की षाक्ति नहीं होगीं

8. विन्यास निधि – (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पष्चात् यथाषाक्य षीघ्र एक करोड़ रुपये की राषि से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगीं

(2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह सुनिष्चित करने के लिए किया जायेगा कि विष्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनिय, परिनियमों और आर्डिनेंसों के अनुसार कार्य करता हैं यदि विष्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तकधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सकरार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समपहृत करने की षाक्ति होगीं

(3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विष्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगां परन्तु उसका उपयोग विष्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगां

(4) विन्यास निधि की रकम राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या प्रत्याभूत दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विष्वविद्यालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विष्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में ब्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा की जायेगी और विष्वविद्यालय के विघटन तक जमा रखी जायेगीं

(5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस षार्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगीं

9. साधारण निधि –विष्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात् : –

(क) विष्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार ;

(ख) प्रायोजक निकास द्वारा किया गया कोई अभिदान ;

(ग) विष्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देष्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्षी सेवा और किये गये अन्य कार्य से प्राप्त आय ;

(घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान ;

और

(ड़) विष्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राषियां

10. साधारण निधि का उपयोजन – साधारण निधि का उपयोजन, विष्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पूरा करने में किया जायेगा ;

परन्तु विष्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्श के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, के बाहर, प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगां

11. विष्वविद्यालय के अधिकारी – विष्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् : –

(i) कुलाधिपति

(ii) कुलपति

(iii) प्रतिकुलपति

(iv) प्रोवोस्ट

(v) कुलानुषासक

(vi) संकायों के संकायाध्यक्ष

(vii) कुल–सचिव

(viii) मुख्य वित और लेखा अधिकारी ; और

(ix) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विष्वविद्यालय के अधिकारी घोशित किये जायें

12. कुलाधिपति – (1) कुलाधिपति, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्श की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कुलाधिपति, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेतां

(2) कुलाधिपति के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की जारखी से छह मास के भीतर–भीतर भरी जायेगीं

(3) कुलाधिपति, उसके पदाभिधान से विष्वविद्यायल का प्रधान होगां

(4) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की ओर उपाधियां, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विष्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगां

(5) कुलाधिपति की निम्नलिखित षाक्तियां होगी, अर्थात् : –

(क) विष्वविद्यालय के मामलों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना ;

(ख) कुलपति नियुक्त करना ;

(ग) धारा 13 की उप–धारा (8) के उपबंधों के अनुसार कुलपति को हटाना ; और

(घ) ऐसी अन्य षाक्तियां जो परिनियमों द्वारा चिहित की जायें

13. कुलपति – (1) कुल पति की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिष किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी ओर उप–धारा (8) में अन्तर्विश्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, तीन वर्श की अवधि के लिए पद धारित करेगा ;

परन्तु तीन वर्श की अवधि की समाप्ति के पष्चात् वह व्यक्ति तीन वर्श की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ;

परन्तु यह और कि कुलपति उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण कर लेता हैं

(2) कुलपति के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर–भीतर भरी जायेगीं

(3) कुलपति विष्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और षैक्षिक अधिकारी होगा और विष्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिष्चयों का निश्पादन करेगां

(4) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विष्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगां

(5) यदि कुलपति की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवष्यक हो जिसके लिए षाक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवष्यक समझे और तत्पष्चात् अपनी कार्रवाही की रिपोर्ट सर्वप्रथम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिश्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिष्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाही विष्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई

की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई की पुष्ट या उपांतरित कर या उलट सकेगां

(6) यदि, कुलपति की राय में विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिष्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त ष्ाक्तियों के बाहर है या उससे विष्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिष्चय

की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर–भीतर विनिष्चय का पुनरीक्षण करने का निदेष दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिष्चय का पुनरीक्षण करने से इनकार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिश्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिष्चय अंतिम होगां

(7) कुलपति ऐसी अन्य ष्ाक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जायें

(8) यदि कुलाधिपति का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि कुलपति का उसके पद पर बने रहना विष्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेष द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, कुलपति से ऐसी तारीख से, जो आदेष में विनिर्दिश्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

14. प्रतिकुलपति – (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कुलपति के परामर्ष से की जायेगीं

(2) प्रतिकुलपति तीन वर्श की कालावधि के लिए पद धारित करनेगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगां

(3) प्रतिकूलपति की सेवा की ष्ार्ते ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

(4) यदि कुलाधिपति का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर याअन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रतिकुलपति का उसके पद पर बने रहना विष्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेष द्वारा उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रतिकूलपति से ऐसी तारीख से, जो आदेष में विनिर्दिश्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई कार्रवाही करने के पूर्व प्रतिकुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगां

(5) प्रतिकुलपति, ऐसे मामलों में, जो कुलपति द्वारा उसे समय–समय पर समनुदेषित किये जायें, कुलपति की सहायता करेगा और ऐसी षक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें

15. प्रोवोस्ट – (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

(2) प्रोवोस्ट विष्वविद्यालय में अनुषासन को सुनिष्चित करेगा और अध्यापकां और कर्मचारियों के विभिन्न संघों को विष्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करेगां

(3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य षक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

16. कुलानुषासक – (1) कुलानुषासक की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

(2) कुलानुषासक छात्रों में अनुषासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र संघों को विष्वविद्यालय के विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगां

(3) कुलानुषासक ऐसी अन्य षक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

17. संकाय का संकायाध्यक्ष – (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्श की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो पनिनियमों द्वारा विहित की जायें

(2) संकायाध्यक्ष, कुलपति के परामर्ष से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगां वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगां

(3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य षक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

18. कुल–सचिव – (1) कुल–सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

(2) विष्वविद्यालय की ओर से कुल–सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगें

(3) कुल–सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिशद् का सदस्य–सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगां

(4) कुल–सचिव ऐसी अन्य ष्ाक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

19. मुख्य वित और लेखाधिकारी – (1) कुलपति द्वारा मुख्य वित और लेखाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

(2) मुख्य वित और लेखाधिकारी ऐसी ष्ाक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

20. अन्य अधिकारी – (1) विष्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवष्यक हों

(2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और ष्ाक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

21. विष्वविद्यालय के प्राधिकारी – विष्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्

(i) प्रबन्ध बोर्ड

(ii) विद्या परिश्वद्

(iii) संकाय ; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विष्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोश्वित किया जायें

22. प्रबन्ध बोर्ड – (1) विष्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देष्ति पांच व्यक्ति जिनमें दो विख्यात ष्िक्षाविद् होंगे ;

(घ) विष्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देष्ति एक विष्ोश्वज्ञ ;

(ड़) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देष्ति एक वित विष्ोश्वज्ञ ;

(च) आयुक्त, विद्यालय ष्िक्षा या उसका नामनिर्देष्िती, जो उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो ; और

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्देष्ति दो अध्यापकं

(2) प्रबंध बोर्ड, विष्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालन निकाय होगां विष्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति प्रबंध बोर्ड में निहित होगीं उसकी निम्नलिखित ष्ाक्तियां होंगी, अर्थात् : –

(क) ऐसी सभी ष्ाक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेष्ान का उपबंध करना और विष्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना;

(ख) विष्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किए गये विनिष्चयों का उस दष्ाा में पुनरीक्षण करना, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों ;

(ग) विष्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ;

(घ) विष्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करना ;

(ड़) विष्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिषें करना यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विष्वविद्यालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो ; और

(च) ऐसी अन्य ष्ाक्तियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

(3) प्रबन्ध बोर्ड की किसी कलैंडर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगीं

(4) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगीं

23. विद्या परिशद् – (1) विद्या परिशद् में कुलपति और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

(2) कुलपति विद्या परिशद् का अध्यक्ष होगां

(3) विद्या परिशद् विष्वविद्यालय की प्रधान ष्ौक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेंसों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विष्वविद्यालय की ष्ौक्षिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगीं

(4) विद्या परिशद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें

24. अन्य प्राधिकारी – विष्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, ष्ाक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरर्हता – कोई व्यक्ति विष्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह –

(क) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है ;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) नैतिक अधमता से अनतर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोश ठहराया गया है;

(घ) प्राईवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है ; या

(ड़) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया हैं

26. रिक्तियों से विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – विष्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगीं

27. आपात रिक्तियों का भरा जाना – किसी सदस्य की मृत्यु त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिश्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव षीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिश्ट किया था ;

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विष्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिश्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिश्ट किया गया है, केवल षेश अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगां

28. समिति – विष्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देष–निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिश्ट कार्यो के लिए आवष्यक हों ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें

29. परिनियम – (1) अस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विष्वविद्यालय के परिनयमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् : –

(क) विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, षक्तियां और कृत्य जो समय–समय पर गठित किये जाये ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधन और षर्ते और उसकी षक्तियां और कृत्य ;

(ग) कुल–सचिव और मुख्य वित और लेखाधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा षर्ते और उनकी षक्तियां और कृत्य ;

(घ) वह रीति जिसमें वह कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुषासक की नियुक्ति की जायेगी और उनकी षक्तियां और कृत्य ;

(ड़) वह रीति जिसमें संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी और उसकी षक्तियां और कृत्य ;

(च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा षर्ते और उनकी षक्तियां और कृत्य ;

(छ) विष्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा षर्ते और उनके कृत्य ;

(ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामलें में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ञ) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ट) स्थानों के आरक्षण के विनियम सहित, प्रवेष की नीति से संबंधित उपबंध ;

(ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध ;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध ;

(ढ) विष्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन ;

(ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया

(त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समाप्न या पुनः संरचना ;

(थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;

(द) पदो ंके सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया ;

(ध) फीस की पुनरीक्षण ;

(न) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन ;

और

(प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विहित किये जाने हैं या विहित किये जायें

(2) विष्वविद्यालय के परिनियम प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगें

(3) राज्य सरकार विष्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवष्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर–भीतर उनका अनुमोदन करेगीं

(4) विष्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा–अनुमोदित परिनियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उप–धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं भी या समस्त उपांतरणों को प्रभावी करने का इच्छुक नहीं है तो वह उसके लिए कारण दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पष्चात् राज्य सरकार विष्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगीं

(5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथा–अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाषित करेगी और तत्पष्चात् परिनियम ऐसे प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगें

30. आरर्डिनेन्स – (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् : –

(क) विष्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेष और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विष्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय ;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की षर्ते ;

(ड़) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विष्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(छ) विष्वविद्यालय के छात्रों के निवास की षर्ते ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विष्वविद्यालय के षैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवष्यक समझा जाये ;

(ञ) अन्य विष्वविद्यालय और उच्चतर षिक्षा संस्थानों के साथ सहकार और सहयोग की रीति ; और

(ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों

(2) विष्वविद्यालय के आर्डिनेन्स षिक्षा परिशद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पष्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगां

(3) उप–धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्स पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर–भीतर विचार करेगी और या तो उउन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगीं

(4) विद्या परिशद् या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपानतरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिशद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विष्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगीं

31. विनियम – विष्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगें

32. प्रवेष – (1) विष्वविद्यालय में प्रवेष सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगें

(2) विष्वविद्यालय में प्रवेष के लिए योग्यता या जो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह–पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विष्वविद्यालय के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेष परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेष केवल प्रवेष परीक्षा के माध्यम से होगां

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विष्वविद्यालय में प्रवेष के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगां

33. फीस संरचना – (1) विष्वविद्यालय समय–समय पर अपनी फीस संचलना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगां

(2) समिति विष्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस –

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात् : –

(i) विष्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए ; और

(ii) विष्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए ;

पर्याप्त है ; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगीं

(3) उप–धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्श के लिए प्रवृत्त रहेगी और विष्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगां

(4) विष्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप–धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित हनीं करेगां

34. परीक्षाएं – प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्श की 30 अगस्त तक न कि उसके पष्चात् विष्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाषित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगां

स्पश्टीकरण – ''परीक्षा की अनुसूची'' से प्रत्येक प्रष्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा :

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विष्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाषित अनुसूची का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगां सरकार उस पर ऐसे निदेष जारी करेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझें

35. परिणामों की घोश्णा – (1) विष्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोश्णा उस विषिश्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर–भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दषा में ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर–भीतर घाोश्ति करेगा :

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विष्वविद्यालय उपर्युक्त पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर–भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोश्णा करने में

असमर्थ है तो विष्वविद्यालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगां राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेष जारी करेगा जो वह उचित समझें

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विष्वविद्यालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, धारा 35 में यथा–नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया हैं

36. दीक्षांत समारोह – विष्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक षैक्षिक वर्श में उपाधियां, डिप्लोमें प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगां

37. विष्वविद्यालय का प्रत्यायन – विष्वविद्यालय, राश्ट्रीय निर्धारण और प्रत्याय परिशद् (रा.नि.प्र.प.) के मानकों के अनुरूप रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विष्वविद्यालय द्वारा चलाने गये पाठ्यक्रमों से संबद्ध है, को रा.नि.प्र.प. द्वारा विष्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगां विष्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. के मानकों के अनुरूप समय–समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगां

38. विष्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों मानकों इत्यादि का पालन किया जाना – इस अधिनियम में अंतर्विश्ट किसी बात के होने पर भी, विष्वविद्यालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जायें

39. वार्शिक रिपोर्ट – (1) विष्वविद्यालय की वार्शिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विष्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देष्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगीं

(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्शिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगीं

40. वार्शिक लेखे और संपरीक्षा – (1) विष्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्शिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेषों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्शिक लेखे विष्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए, नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्श में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगें

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखे की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगीं

(3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगीं

(4) उप–धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेंगीं विष्वविद्यालय के लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगीं प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेष जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगीं

41. राज्य सरकार की विष्वविद्यालय का निरीक्षण करने की ाक्तियां – (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विष्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विशय से संबंधित स्तर अभिनिष्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिनहें वह उचित समझे, निरीक्षण करवायेगीं

(2) राज्य सरकार सुधार कार्रवाही के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिषों से विष्वविद्यालय को संसूचित करेगीं विष्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिषों का अनुपालन सुनिष्चित करने के बारे में प्रयास करेगां

(3) यदि विष्वविद्यालय उप–धारा (2) के अधीन दी गयी सिफारिषों का अनुपालन युक्तियुक्त समय के भीतर–भीतर करने में विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निर्देष दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझें

42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की ाक्तियां – (1) राज्य सरकार विष्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, अध्यापन का स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में जो वह विष्वविद्यालय की दक्षता को आंकने के लिए आवष्यक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो नियमों द्वारा विहित किया जाये सूचना की अपेक्षा कर सकेगीं

(2) विष्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा उप–धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगां

43. प्रायोजक निकाय द्वारा विष्वविद्यालय का विघटन – (1) प्रायोजक निकाय राज्य सरकार और विष्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्राओं को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्श का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विष्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विष्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पष्चात् ही प्रभावी होगां

(2) विष्वविद्यालय के विघटन पर विष्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व प्रायोजन निकाय में निहित हो जायेंगें

44. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विषेश षाक्तियां – (1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विष्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेषों को अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विष्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रषासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विष्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्षित करने की अपेक्षा करने हुए इस बारे में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेष क्यों नहीं किया जाना चाहिएं

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विष्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेंन्सों के किन्ही भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेष के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रषासन का प्रथमदृश्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेष करेगी जो वह आवष्यक समझें

(3) राज्य सरकार उप–धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथ्नों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगीं

(4) उा–धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वहीं षाक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विश्यों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती है, अर्थात् : –

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना और षापथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोश्णीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेष किये जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करनां

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगां

(6) उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विष्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सो के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लघंन किया है या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं भी निदेषों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विष्वविद्यालय के में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रषासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विष्वविद्यालय के षैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विष्वविद्यालय के परिसमापन के आदेष करेगी और एक प्रषासक नियुक्त करेगी और तत्पष्चात् विष्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रषासक के आदेष और निदेष के अध्यधीन होंगें

(7) उप–धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रषासक को इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध बोर्ड की समस्त षक्तियां होगी और वह उसके समस्त कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विष्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रषासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान कर दिये जायें

(8) नियमित पाठ्यक्रम के छाखें के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पष्चात् प्रषासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगां

(9) उप–धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विष्वविद्यालय को विघटित करने का आदेष जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से विष्वविद्यालय विघटन हो जायेगा और विष्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगें

45. नियम बनाने की षक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगीं

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पष्चात् यथाषाक्य षीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, ज बवह सत्र में हो चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले

सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पष्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगां

46. कठिनाईयों के निराकरण की ष्ाक्ति –(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवष्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेष इस अधिनियम के प्रारंम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पष्चात् नहीं किया जायेगां

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष इस प्रकार किये जाने के पष्चात् यथाष्क्य ष्ीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगां

47. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना – इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान–मण्डल को विधि बनाने की अनन्य ष्ाक्तियां हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विश्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगें

vuqlwph 1

volajpuk

1. भूमि :

ग्राम झरना, तहसील मोजमाबाद, उप–खण्ड दूदू, जिला जयपुर के खसरा सं. 1044, 1045 और 1046 में समाविश्ट 30 एकड़ भूमिं

2. भवन :

(i) प्रषासनिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 21

(bdkbZ;ksa dk çoxZ	bdkbZ;ksa dh la[;k
कुलपति का कार्यालय	1
निजी सचिव, कुलपति	1
कुलाधिपति के सलाहकार का कार्यालय	1
कुलाधिपति के सलाहकार का निजी सचिव	1
कुल–सचिव का कार्यालय	1
वित नियंत्रक का कार्यालय	1
परीक्षा नियंत्रक का का कार्यालय	1
निदेषक, दूरस्थ षिक्षा कार्यालय	1
लेखा विभाग	1
कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय	3
परीक्षा (गोपनीय) विभाग	1
अग्र कार्यालय स्वागत कक्ष	1
उप परीक्षा नियंत्रक, दूरस्थ	1
प्रादेषित सेवा खण्ड कार्यालय	1
उप कुल–सचिव (दूरस्थ) कार्यालय	1
संकायाध्यक्ष का कार्यालय और सचिवालय	3
पैन्ट्री	1)

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप–1336.09 वर्ग मीटर

(ii) षैक्षणिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 3 खण्डों में 53 इकाइयां

I खण्ड (क) अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय

¼bdkb;ksa dk izoxZ	bdkb;ksa dh la[;k
कक्षा–थियेटर रूप में	3
कक्षा–सामान्य रूप में	2
अध्यापन कक्ष	2
प्रयोगषालाएं	8
संकाय कक्ष	2
सामान्य हॉल	1

I खण्ड (ख) औश्वध–निर्माण विज्ञान संकाय

कक्षा–थियेटर के रूप में	1
कक्षा–सामान्य रूप में	1
अध्यापन कक्ष	1
प्रयोगषालाएं	4
संकाय कक्ष	2

II खण्ड (क) स्थापत्यकला और अनुप्रयुक्त कला संकाय

कक्षा–थियेटर के रूप में	1
कक्षा–सामान्य रूप में	1
कला स्टूडियो	1
डिजाइन स्टूडियो	1
सभा भवन	1

II खण्ड (ख) निदेषालय, दूरस्थ षिक्षा

परामर्ष कक्ष–थियेटर के रूप में	1	
परामर्ष कक्ष–सामान्य रूप में		2
सूचना केन्द्र (आर एस डी)		1
स्वषिक्षा सामग्री तैयारी –		
वितरण कक्ष		1
II खण्ड (ग) केन्द्रीय पुस्तकालय		
अग्र कार्यालय		1
स्वागत कक्ष		1
पुस्तकालयाध्यक्ष कक्ष		1
पुस्तकालय और वाचनालय		3
श्रव्य दृष्य पुस्तकालय (थियेटर के रूप में)	1	
संकाय अध्ययन कक्ष		1
III खण्ड कार्यषाला और प्रषिक्षण केन्द्र (स्थापत्यकला और अभियांत्रिकी के छात्रों के लिए)		
प्रयोगषालाएं		5
संकाय कक्ष		1
(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप		9519.39

(iii) निवासीय खण्ड :

(क) अध्यापक/अधिकारी निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग :		1
bdkb;k dk çox	bdkb;k dh l[;k	
संकाय निवास		1
(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप :		65 वर्गमीटर

(ख) छात्र निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 7

bdkb;ksa dk çoxZ	bdkb;ksa dh la[;k
120 छात्रों के लिए छात्रावास	1
वार्डन निवास	1
आगंतुक कक्ष	1
चिकित्सा कक्ष	1
इन्डोर खेल कक्ष	1
व्यायामषाला	1
भोजनालय	1

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 4134.88 वर्ग मीटर

dqy fufeZr {ks= % 15057-36 oxZ ehVj

3. संकाय :

(विष्वविद्यालय की अधिसूचना के अध्यधीन नियुक्ति)

आचार्य

सह–आचार्य

सहायक आचार्य

और कानूनी निकायों, विष्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य षैक्षणिक और मंत्रालयिक कर्मचारिवृन्द होंगें

4. षैक्षणिक सुविधाएं :

(i) पुस्तकालय :

Ø-la-	'kk[kk	iqLrdsa	'kks"kd	bUlkbDyksihfM;k
1.	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	2830	756	2

2.	फार्मेसी	1020	193	1
3.	स्थापत्यकला और अनुप्रयुक्त कला	129	32	1
4.	समाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान	761	330	1
	;kx	4740	1311	5

(ii) प्रयोगषाला : 20 इकाइयां

औशधीय रसायन विज्ञान प्रयोगषाला		1
सामान्य रसायन विज्ञान प्रयोगषाला		1
अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान प्रयोगषाला	1	
इलैक्ट्रानिक्स परिपथ प्रयोगषाला	1	
कम्प्यूटर प्रयोगषाला– I	1	
कम्प्यूटर प्रयोगषाला– II		1
षारीर–रचना–विज्ञान और षारीर क्रिया–विज्ञान प्रयोगषाला		1
जीव विज्ञान प्रयोगषाला	1	
डिजाइन स्टूडियों		2
कला स्टूडियों		1
अभियांत्रिकी ड्राइंग प्रयोगषाला	1	
कार्यषाला प्रयोगषाला		1
औशधीय विष्लेशण		1
भेशज अभिज्ञान	1	
भौतिक फार्मेसी	1	
		20

(iii) वाचनालय : वाचन सामग्री की उपलब्धता (संख्या/प्रवर्ग/आवृत्ति)

वाचनालय : 4

çox	Lk[;k	vkofRr
सामाचार पत्र (अंग्रेजी और हिन्दी)	10	दैनिक
पत्रिकाएं	4	साप्ताहिक
पत्रिकाएं	10	मासिक

(iv) पत्र–पत्रिकाएं

Ø-l-	'kk[kk	Ik=&if=dk
1.	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	15 भारतीय और 6 अन्तराष्ट्रीय
2.	फार्मेसी	5 भारतीय और 2 अन्तराष्ट्रीय
3.	स्थापत्यकला और अनुप्रयुक्त कला	5 भारतीय और 2 अन्तराष्ट्रीय
4.	समाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान	5 भारतीय और 2 अन्तराष्ट्रीय

(v) अन्य सुविधाएं :

कक्षा में प्रोजेक्टर

स्वास्थ्य देखरेख

इन्डोर खेल

आउटडोर खेल

सभा–भवन

5. सह–पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं :

(i) इन्डोर सुविधाएं :

टेबल टेनिस

ष्ातरंज

कैरम

व्यायामष्ाला

(ii) आउटडोर सुविधाएं :

बास्केट बॉल

वालीबॉल

बैडमिण्टन

योग और ध्यान

vu|l|ph 2

’kk[kk,¡ ftuesa fo’ofo|ky; v/;;u vkSj vuqla/kku dk ftEek yxkA

1. vfHk;kaf=dh vkSj çkS|kfxdh

निम्नलिखित बिश्रयों में (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री / दोहरी डिग्री / डॉक्टरेट डिग्री / अनुसंधान डिग्री) :–

जैव प्रौद्योगिकी	प्रौद्योगिकी स्नातक
कम्प्यूटर विज्ञान	प्रौद्योगिकी स्नातक
इलैक्ट्रानिक्स और संचार	प्रौद्योगिकी स्नातक
सूचना प्रौद्योगिकी	प्रौद्योगिकी स्नातक

2. vkS"k/kfuekZ.k foKku

फार्मेसी स्नातक	फार्मेसी स्नातक

3. LFkkiR;dyk vkSj vuqç;qDr dyk

निम्नलिखित विश्रयों में (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री / दोहरी डिग्री / डॉक्टरेट डिग्री / अनुसंधान डिग्री) :–

स्थापत्यकला	स्थापत्यकला स्नातक
आंतरिक डिजाइन	आंतरिक डिजाइन में विज्ञान स्नातक

4. funs’kky;] nwjLFk f’k{kk

निम्नलिखित विश्रयों में (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री / दोहरी डिग्री / डॉक्टरेट डिग्री / अनुसंधान डिग्री) :–

कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी

ढंग :

खुला विष्वविद्यालय प्रणाली

दूरस्थ षिक्षा प्रणाली

आभासी षिक्षा प्रणाली

5. çc/ku

निम्नलिखित में व्यापार प्रषासन में स्नातकोत्तर : –

वित्त प्रबंधन

विपणन प्रबंधन

औशध–निर्माण प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन

Ik'pkrorh pj.k

1- vfHk;kf=dh vkj çk|kfxdh

निम्नलिखित विशयों में (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/दोहरी डिग्री/डॉक्टरेट डिग्री/अनुसंधान डिग्री) : –

खाद्य प्रसंस्करण

डेयरी विज्ञान

जैव सूचना विज्ञान

रसायन

जैव चिकित्सा

औशध निर्माण विज्ञान

2- vk"k/k fuekZ.k foKku

आयुर्वेदिक फार्मेसी स्नातक–फार्मेसी स्नातक (आयुर्वेदिक)

होम्योपैथिक फार्मेसी स्नातक –फार्मेसी स्नातक (होम्योपैथिक)

औशधीय पादप में विज्ञान स्नातक – विज्ञान स्नातक (औशधीय पादप)

औशधीय पादप में विज्ञान स्नातकोत्तर– विज्ञान स्नातकोत्तर (औशधीय संयंत्र)

फार्मेसी स्नातकोत्तर – फार्मेसी स्नातकोत्तर

फार्मेसी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र कार्यक्रम

3- çc/k

निम्नलिखित विश्वयों में (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/दोहरी डिग्री/डॉक्टरेट डिग्री/अनुसंधान डिग्री) :–

स्वास्थ्य देखरेख प्रषासन

बैंककारी और वित्त

संचार प्रबंधन

पर्यटन प्रबंधन

अस्पताल प्रबंधन

खुदरा प्रबंधन

4- gkVy çc/ku vkj [kkuiku çk|kfxdh

(होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीं)

5- LFkkiR; dyk vkj vuç;qDr dyk,a

निम्नलिखित विश्वयों में (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/दोहरी डिग्री/डॉक्टर डिग्री/अनुसंधान डिग्री) : –

चित्रकला

अनुप्रयुक्त कलाएं

ग्राफिक्स

दृष्य कलाएं

षिल्पकला

आंतरिक डिलाइन

भूदृष्य–चित्रण

टेक्सटाइल डिजाइनिंग

फैषान डिजाइनिंग

6- f'k{kk

षिक्षा–स्नातक – षिक्षा स्नातक

षिक्षा स्नातक (बाल विकास) – षिक्षा स्नातक (बाल विकास)

षारीरिक षिक्षा स्नातक – षारीरिक षिक्षा स्नातक

प्रारम्भिक षिक्षा स्नातक – प्रारम्भिक षिक्षा स्नातक

कला स्नातक–षिक्षा स्नातक,

विज्ञान स्नातक–षिक्षा स्नातक

में दोहरी डिग्री

षिक्षा स्नातकोत्तर – षिक्षा स्नातकोत्तर

7- tu lapkj vkSj i=dkfjrk

निम्नलिखित विश्यों में (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नतकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/दोहरी डिग्री डॉक्टरेट डिग्री/अनुसंधान डिग्री) :–

प्रिंट पत्रकारिता

टेलिविजन पत्रकारिता

रेडियो पत्रकारिता

8- fun'kkyk] njLFk f'k{kk

निम्नलिखित विश्रयों में (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री / दोहरी डिग्री / डॉक्टरेट डिग्री / अनुसंधान डिग्री) :–

प्रबंधन

षिक्षा

जन संचार

मानविकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सह–चिकित्सा विज्ञान

9- gkE;kiFkh foKku

होम्योपैथी चिकित्सा और षल्य चिकित्सा स्नातक–बी.एच.एम.एस.

10- vk;ofnd foKku

आयुर्वेदिक चिकित्सा और षल्य चिकित्सा में स्नातक–बी.ए.एम.एस.

11- nUr foKku

दन्त षल्य चिकित्सा स्नातक – बी.डी.एस.

सह–चिकित्सा विज्ञान में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा

12- vk;foKku

आयुर्विज्ञान स्नातक और षल्य चिकित्सा स्नातक – एम.बी.बी.एस.

13- uflx foKku

नर्सिग में विज्ञान स्नातक – बी.एससी. (नर्सिग)

नर्सिग में विज्ञान स्नातकोत्तर – एम.एससी. (नर्सिग)

14- ;kx vkj çk—frd fpfdRlk

निम्नलिखित विश्वयों में प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/स्नातक डिग्री

योग विज्ञान

प्राकृतिक चिकित्सा

15- jkx funku vkj lgc) LokLF; foKku

निम्नलिखित विश्वयों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री) :–

फिजियोथैरेपी

चिकित्सा प्रयोगषाला प्रौद्योगिकी

नेत्ररोग विज्ञान

चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान

चिकित्सा जैव रसायन विज्ञान

चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी

रेडियोलॉजी

16- xkeh.k çk|kfxdh

कार्बनिक कृश्ि में प्रमाण पत्र डिप्लोमा

डेयरी प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र डिप्लोमा

चौ–पहिया और दो–पहिया यांत्रिकी में प्रमाणपत्र

डिप्लोमा

बागवानी में प्रमाणपत्र डिप्लोमा

कृशि विपणन प्रबंधन में प्रमाणपत्र

डिप्लोमा

कला और षिल्प में प्रमाण डिप्लोमा

पषु प्रबंधन में प्रमाणपत्र डिप्लोमा

वाटरषेड प्रबंधन में प्रमाणपत्र डिप्लोमा

17- fof/k

विधि संकाय में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमं

,p-,l- lDlnuk]

çe[k 'kklu lfpo